पत्र संख्या-आई0टी0-NIC S/W-(Digital_Sig.)-(2016-17) / 1127/1617061 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

दिनॉक // लखनऊ // फरवरी, 14 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि शासनादेश दिनांक 15-12-2016 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 के नियम-72 में संशोधन करते हुए इलेक्ट्रानिक माध्यम से किसी भी नोटिस, आह्वाहन पत्र या आदेश की Scan की गयी प्रति Electronically Generated व Digital Signature की प्रति ई-मेल से अथवा अनुलिपि संदेश के माध्यम से प्रेषित किये जाने की विधिक मान्यता प्रदान की गयी हैं तथा इसी क्रम में मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1002 दिनांक 13-01-2017 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी / पंजीयन प्राधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर का साफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन तथा कर निर्धारण अधिकारी / पंजीयन प्राधिकारी द्वारा login करने के पश्चात Online generated notice / Order / Registration Certificate Digitaly Signed जारी करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके दृष्टिगत सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा Online Application में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करना आवश्यक होगा।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1002 / 1617057 दिनॉक 13-01-2017 द्वारा VYAS Central Application Software में दिनॉक 20-01-2017 तक Digital Signature Register किये जाने के सम्बन्ध में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। पुन: मुख्यालय के पत्र संख्या-आई0टी0-NIC S/W-(Digital_Sig.)-(2016-17) / 1052/ वाणिज्य कर दिनॉक 27-01-2017 द्वारा दिनॉक 31-01-2017 तक डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम में Register करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इसी क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या-आई0टी0-NIC S/W-(Digital_Sig.)-(2016-17) / 1071/ वाणिज्य कर दिनॉक 02-02-2017 द्वारा जिन अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर खो गये है के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये थे। कतिपय अधिकारियों द्वारा VYAS Central Application Software में Digital Signature Register किये जाने में Name Mismatch की समस्या से अवगत कराया गया था जिसके सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1089 दिनांक 07-02-2017द्वारा डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करने में आ रही कठिनाईयों का निवारण करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या - आई0टी0-NIC S/W-(Digital_Sig.)-(2016-17) / 1122 दिनांक 10-02-2017 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि दिनांक 15-02-2017 तक प्रत्येक दशा में अपना डिजिटल सिग्नेचर Vyas Central Software में रजिस्टर करना सुनिश्चित करें।

अत: निर्देश दिये जाते है कि दिनांक 21-02-2017 से समस्त पंजीयन प्रमाण पत्र डिजिटल सिग्नेचर के पश्चात ही निर्गत किये जाये तथा Digitally Signed पंजीयन प्रमाण पत्र ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित व्यापारी को प्रेषित किया जाये जिसकी प्रक्रिया निम्नवत रहेगी -

1. **पंजीयन प्राधिकारी द्वारा Vyas Central पर Login किया जायेगा।**
2. **इसके पश्चात MIS Report में दिये गये Link "Registration Report " के Option के Registration Certificate पर Click किया जायेगा। (आपका DSC USB Port पर लगा होना आवश्यक है।)**

क्रमश: 2 पर

3. सम्बंधित Registration Certificate में Digital Signature हेतु दिये गए Redio button के सम्मुख Click किया जायेगा।
4. इसके पश्चात TIN डालकर Submit किया जायेगा।
5. Open with PDF File करने पर Digitally Signed Registration Certificate Generate हो जायेगा।
6. Registration Certificate Generate होते ही व्यापारियों के E-Service Login पर Download हेतु PDF File उपलब्ध हो जायेगी। इसके साथ ही व्यापारियों के रजिस्टर्ड Mobil Number तथा ईमेल ID पर सूचना प्रेषित हो जायेगी।

अपने अधीनस्थ समस्त पंजीयन प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देशित करने का कष्ट करे तथा उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 21-02-2017 के उपरान्त जारी समस्त पंजीयन से सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही प्रेषित किया जाये।

14/02/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर,वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।